पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0–13/2019 330

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना।

पटना, दिनांक 24/6/2019

विषय : इन्टरमीडिएट परीक्षा के समरूप माध्यमिक परीक्षा के लिए पंजीयन की वैधता, स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के लिए अनुमति लेने एवं समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थियों के परीक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक के0–775/19–675 दिनांक 18.06.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय सहमति संसूचित की जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

24/6/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–13/2019 330

पटना, दिनांक 24/6/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/6/19

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

E:\Sec.Edu\Office Letter (SEC.DIRECTOR-R). 813

पत्रांक : क०-775/19-/675

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार।

पटना, दिनांक 18 जून, 2019

विषय: इंटरमीडिएट परीक्षा के समरूप माध्यमिक परीक्षा के लिए पंजीयन के वैधता की अवधि, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए अनुमति लेने एवं समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थियों के परीक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में समिति द्वारा माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के पंजीयन की वैधता की अवधि, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए पूर्व अनुमति लेने की व्यवस्था के साथ-साथ समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था एवं परीक्षाफल तैयार करने के संबंध में अलग-अलग प्रावधान निम्नवत निर्धारित है :

प्रावधान	इंटरमीडिएट परीक्षा	माध्यमिक परीक्षा
पंजीयन की वैधता की अवधि के संबंध में ।	पंजीयन की वैधता की अवधि लगातार तीन परीक्षा वर्ष के लिए निर्धारित है । इसके पश्चात् पुनः नया पंजीयन कराना आवश्यक है ।	पंजीयन की वैधता की अवधि निर्धारित नहीं है, जिसके कारण पूर्व के किसी वर्ष के पंजीकृत विद्यार्थी आगामी किसी भी वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं ।
स्वतंत्र विद्यार्थी को अनुमति लेने के संबंध में।	स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ।	स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत एवं अनुमति प्राप्त विद्यार्थी आगामी किसी भी वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं ।
समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में ।	उत्तीर्ण परीक्षार्थी, अपने परीक्षाफल को समुन्नत (Betterment) करने के उद्देश्य से उत्तीर्णता वर्ष के ठीक अगले वर्ष (Immediate Succeeding Year) की वार्षिक परीक्षा में किसी एक अथवा दो अथवा सभी उत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं । समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों का परीक्षाफल उनके दोनों वर्षों के विषयवार प्राप्तांकों में से अधिकतम अंक के आधार पर प्रकाशित किया जाता है ।	उत्तीर्ण परीक्षार्थी, अपने परीक्षाफल को समुन्नत (Betterment) करने के उद्देश्य से उत्तीर्णता वर्ष के लगातार दो वर्ष (Immediate Two Succeeding Year) की वार्षिक परीक्षा में सभी उत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित होते हैं । समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों का परीक्षाफल वार्षिक परीक्षा की तरह प्रकाशित किया जाता है । अर्थात् दोनों वर्षों के विषयवार प्राप्तांकों में से अधिकतम अंक के आधार पर परीक्षाफल नहीं प्रकाशित किया जाता है ।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् के विघटित होने के पश्चात् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक परीक्षा के साथ–साथ इंटरमीडिएट परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है । वर्तमान में समिति द्वारा ली जाने वाली माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के पंजीयन के वैधता की अवधि, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए आगामी वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व अनुमति लेने एवं समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थियों के परीक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ परीक्षाफल प्रकाशन में एकरूपता होना आवश्यक है ।

3. उक्त के आलोक में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्धारित व्यवस्था के समरूप ही माध्यमिक परीक्षा के लिए भी विद्यार्थियों के पंजीयन की वैधता अवधि, स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए आगामी वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व अनुमति लेने एवं समुन्नत (Betterment) कोटि के विद्यार्थियों के परीक्षा की व्यवस्था निम्नवत लागू किया जाना प्रस्तावित है :–

(i) वर्ष 2021 की माध्यमिक परीक्षा से पंजीकृत विद्यार्थियों के पंजीयन की वैधता की अवधि लगातार तीन परीक्षा वर्ष के लिए निर्धारित होगी ।

(ii) वर्ष 2021 की माध्यमिक परीक्षा से स्वतंत्र कोटि के पंजीकृत विद्यार्थी को प्रत्येक परीक्षा वर्ष के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

(iii) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2020 से, अपने परीक्षाफल को समुन्नत (Betterment) करने के उद्देश्य से उत्तीर्णता वर्ष के ठीक अगले वर्ष (Immediate Succeeding Year) की वार्षिक परीक्षा में हीं किसी एक अथवा दो अथवा सभी उत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में समुन्नत कोटि के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे । साथ ही समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों का परीक्षाफल उनके दोनों वर्षों के विषयवार प्राप्तांकों में से अधिकतम अंक के आधार पर प्रकाशित किया जायेगा ।

4. अतः उक्त आलोक में निदेशानुसार सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–3 में अंकित प्रस्ताव पर विभागीय सहमति प्रदान करने की कृपा की जाय ।

18/06/19

विश्वासभाजन,
18.06.2019
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।